न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 45/2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी ग्राम दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2. रामसिंह पुत्र प्रहलाद

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. श्री रामसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उप जिला कलक्टर बांदीकुई पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर. ए. एस. प्रकरण उनवानी प्रेमसिंह आदि बनाम उम्मेदसिंह आदि प्रकरण संख्या 116/2024 अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 17.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.28 है. व खसरा नम्बर 399 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 400/893 रकबा 0.06 है. में होकर नजरी नक्शा में वर्णित ए,बी,सी,डी 15 फीट चौडाई की भूमि को रास्ते की भूमि घोषित किये जाने के अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली व उनके व्यवहार से प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हुआ कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को सदोष लाभ पहुंचाना चाहते है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित [illegible] एवं स्वयं बहस किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी को बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी अथवा अधिवक्ता प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्र0 सं0 45/2025

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में आने–जाने के लिये एवं कृषि हेतु साधन, उपकरण लाने ले जाने के लिये 15 फीट चौडाई की भूमि को रास्ते हेतु न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसकी न्यायालय में नियमित सुनवाई की जा रही थी किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा पीठासीन अधिकारी पर झूंठे एवं मनगढन्त आरोप लगाये गये है। अप्रार्थीगण एवं अन्य आम जन को आगामी वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुये कृषि कार्य करने के लिये आवागमन हेतु रास्ते की अति आवश्यकता होने के कारण से अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना जरूरी है, इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 18 द्वारा जरिये अधिवक्ता तहसील द्वारा बनाई गई रास्ते की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली में आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र, बहस मूल प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण संख्या 20, 21 लगायत 24, 27, 29, 34 लगायत 36 की इन्तजार तामील में पत्रावली लम्बित है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में देर किये जाने की नीयत से पेश किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official